कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, अमरोहा।

पत्रांक 592 /14–1,दिनांक,अमरोहा,अगस्त, 23 2022,

सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त मुरादाबाद।

विषय :- जनपद अमरोहा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

सदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र संख्या 257 / 11–सी FP/UP/TRANS/148929/2021 दिनांक 21.07.2022

महोदय

उपरोक्त विषयक जनपद अमरोहा, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमा के अन्तर्गत विद्युत पारेषण खण्ड अमरोहा द्वारा 220 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 0.07 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों तथा गैर वन भूमि पर स्थित 12 वृक्ष कुल 18 बाधक वृक्षों के विदोहन हेतु ऑन लाइन Proposal No. FP/UP/TRANS/148929/2021 भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। जिस पर मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या 257 / 11–सी FP/UP/TRANS/148929/2021 दिनांक 21.07.2022 के माध्यम से कतिपय बिन्दुओं पर आख्या मांगी गयी थी।

जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

क्र0सं0	आपत्ति	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव के पृष्ठ–70 पर रक्षित एफ0आर0ए0 पर जिलाधिकारी की मोहन नहीं है। साथ ही साथ प्रभागीय वनाधिकारी भी हस्ताक्षरित किया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोर्फार्मा के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी का हस्ताक्षर नियमानुसार नहीं है।	उक्त आपत्ति के अनुपालन में पुनः एफ0आर0ए0 पर जिलाधिकारी अमरोहा के हस्ताक्षर कराकर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसकी 04 प्रतियां पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। (संलग्नक–1)
2	प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि संलग्न अभिसूचना में चिन्हित नहीं है।	प्रस्ताव के साथ संलग्न अभिसूचना में संरक्षित वनभूमि चिन्हित कर दी गयी है।
3	प्रस्ताव पूर्णतः वन्यजीव विहार क्षेत्र में है। वृक्षों का पातन निहित है। ऐसी स्थिति में वन्यजीव अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है ?	वन्यजीव क्लीयरेन्स हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।
4	क्या प्रस्तावित परियोजना वन (संरक्षण) रूल्स–2022 के अनुसार परीक्षण किया गया है ?	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या– 69 पर संलग्न है।
5	परियोजना में बाधक निजी वृक्षों के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख संलग्न है ?	विद्युत पारेषण लाईन में निजी भूमि भी प्रभावित है। अतः लाईन के नीचे जो निजी वृक्ष आ रहे है, उनके अभिलेख संलग्न किये गये है।

भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव की 04 प्रतियां संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है। आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रस्ताव अपनी संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।

पत्रांक / उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड–अमरोहा उ0प्र0 पॉवर ट्रान्समिशन कार्पोरेशन लि0 अमरोहा को उनके पत्र दिनांक 03.08.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग
अमरोहा।